राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर

दिनांक : 16.03.2016

– : प्रेस विज्ञप्ति :–

माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जयपुर ने डी.बी. सिविल अपील संख्या 1379/2014 एवं डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1653/2015 एवं व अन्य समकक्ष रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.02.2016 द्वारा कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा– 2011 का परिणाम प्रथम फेज में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में एवं द्वितीय फेज में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की नये सिरे से वरियता सूची दिनांक 16.03.2016 को जारी कर दी गई है। कोई भी अभ्यर्थी जो इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहे तो इसके जारी करने की तिथि से सात दिन अर्थात दिनांक 22.03.2016 तक अपनी आपत्ति ई–मेल/डाक/व्यक्तिशः कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 22.03.2016 (कार्यालय समय समाप्ति) के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विस्तृत आवेदन पत्र जमा नहीं करवाये है वे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in. से आवेदन पत्र दो प्रतियों में डाउन लोड कर शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक दस्तावेजों के एवं वांछित शुल्क सहित दिनांक 28.03.2016 को सायं 6.00 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करें देवें। अभ्यर्थियों की सुलभ सुविधा हेतु जिन 763 अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय में अभी तक आवेदन पत्र जमा नहीं करवायें है उनकी सूची वेबसाइट पर अलग से जारी की जा रही है।

16/3/16

(बी. एल. कोठारी)
सचिव